

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण  
केसारा

बनाम

प्रतिवादीगण  
चूनाराम वगैरहा

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

मुकदमा नम्बर 123/2014

दिनांक	हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
28.05.2014	<p>यह वाद वकील वादी ने अधीन धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किय जाकर पत्रावली तारीख पेशी 28.05.14 को पेश हो।</p>	
28/5/14	<p>उकील वादी उप. प्रतिवादी सं. 1 से 4 के सम्मन आवाद प्रकान पर चल्यामगी की रिपोर्ट व प्रतिवादी सं. 5 की फौजगी रिपोर्ट लम्बे प्रतिवादी सं. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, के सम्मन अदालत तामील व प्रतिवादी सं. 15, 16 व 17 के सम्मन आवाद प्रकान पर चल्या तथा 18 का सम्मन स्वयं ले तामील होकर प्राप्त हुआ है प्रतिवादी सं. 1 से 4 व 15, 16, 17 तथा 18 के सम्मन तामील प्राप्त हुये जो गैर हकिम है इनके विरुद्ध रु. 3 चषिष कार्यावाही कमल के लम्बी जारी है प्रतिवादी सं. 5 के फौज हो गये से कार्र की पूची वकील वादी पेश करे। तथा प्रतिवादी सं. 6 से 14 के सम्मन रु. 1 पते सहित पुनः पेश करे। पत्रा दिनार 16/5/14 को पेश हो।</p>	

वाकिल/पत्रकारान के अधिवक्ता

16/5/14  
 मुकदमा नम्बर 123/2014  
 अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
 मुकाम जायल (नागौर)  
 22/5/14

